

मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

प्रकीर्ण वाद संख्या २३६/२०२० (एम.ए.सी.पी. सं. २७५/२०१८)
हरगोविन्द बनाम राजीव आदि

१२.०१.२०२१

३बी प्रार्थनापत्र प्रार्थी/याची हरगोविन्द द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत याचिका में न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक ०१.११.२०२० को लोक अदालत में राजीनामा के आधार पर ₹ ३५,००० हेतु एवार्ड पारित किया गया था। न्यायाधिकरण के उक्त आदेश के अनुपालन में विपक्षी बीमा कम्पनी ने उक्त धनराशि न्यायालय के सिन्डीकेट बैंक शाखा गोविन्द चौराहा, झाँसी में दिनांक २०.११.२०२० को जमा कर दी है। अतः प्रार्थी ने प्रकरण में जमाशुदा उक्त प्रतिकर धनराशि उसे दिलाये जाने की याचना की है। समर्थन में प्रार्थी ने स्वयं का शपथपत्र, अपने आधार कार्ड, बैंक खाते की पासबुक की छाया प्रतियाँ दाखिल की गई हैं।

प्रार्थी न्यायाधिकरण के समक्ष मय विद्वान अधिवक्ता वर्चुअल न्यायालय में उपस्थित आये। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को वर्चुअल न्यायालय में सुना गया तथा प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद, एम.ए.सी.पी. सं. २७५/२०१८ हरगोविन्द बनाम राजीव आदि की पत्रावलियों व कार्यालय आख्या का अवलोकन किया। कार्यालय आख्या के अनुसार संबंधित बीमा कम्पनी के अधिवक्ता श्री सुनील शुक्ला द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं चेक रजिस्टर के अनुसार यू टी आर रिफरेंस नं. SIN00533Q3210979 के अनुरा दिनांक २०.११.२०२० को ₹ ३५००० जमा होने का विवरण प्रस्तुत किया है, जो सिन्डीकेट बैंक में जमा है। मूल याचिका के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक ०१.११.२०२० को **ई लोक अदालत** में सुलहनामा के आधार पर ₹ ३५,००० का एवार्ड पारित किया गया था, जो प्रतिकर की धनराशि याची को आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से नकद प्राप्त होनी है। प्रार्थी द्वारा अपने शपथपत्र ४सी२ में अपने प्रार्थनापत्र के कथनों का समर्थन किया है तथा यह भी कथन किया है कि न्यायाधिकरण के उक्त आदेश के विरुद्ध कोई अपील माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है न ही कोई स्थगन आदेश है। प्रार्थी ने अपने बैंक खाते की पासबुक की छाया प्रति दाखिल की गई है। अतः मेरे विचार से प्रार्थी प्रकरण में जमाशुदा प्रतिकर धनराशि न्यायाधिकरण के आदेशानुसार आर.टी.जी.एस./नेफ्ट अपने बैंक खाते मे नकद प्राप्त करने का अधिकारी है।

आदेश

सिन्डीकेट/केनरा बैंक, झाँसी को आदेशित किया जाता है कि वह एम.ए.सी.पी. सं. २७५/२०१८ (प्रकीर्ण वाद सं. २३६/२०२० हरगोविन्द बनाम राजीव आदि) के प्रकरण में जमाशुदा धनराशि मय ब्याज प्रार्थी को निम्न सारिणी के अनुसार भुगतान कर दें:-

Applicat/ Petitioner	Amount in ₹	+(%of) Interest Accrued on Deposit d Amount	Mode of Disbursement	Bank Account Number	Bank	IFSC Code
Hargovi nd	35000	100	Elect. Mode RTGS/NEFT	38840001 00952183	P.N.B. Nagra, Babina Jhansi	PUNB0 388400
Total	35000	100				

तदनुसार अनुपालन आख्या तत्काल जरिये ई-मेल एवं वाट्सएप न्यायाधिकरण को प्रेषित की जाय। ३बी प्रार्थनापत्र तदनुसार निस्तारित। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ., एम.एस.सी.टी., झाँसी